

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश : नई दिल्ली जिला, पटियाला हाउस न्यायालय

नीलामी सूचना

फैमिली कोर्ट, ग्राउंड फ्लोर, पटियाला हाउस न्यायालय परिसर में निष्क्रिय पड़ी वस्तुओं की नीलामी 20.10.2023 को दोपहर 02:00 बजे पटियाला हाउस न्यायालय परिसर के गेट नं० 4 पर फ्रंट लॉन में "जैसा है वैसा है आधार" पर की जाएगी। नीलाम की जाने वाली वस्तुएं और उनका आरक्षित मूल्य इस प्रकार है:

क्रम संख्या	फर्नीचर वस्तुओं/अन्य वस्तुओं का नाम	कुल मात्रा	आरक्षित मूल्य (प्रति वस्तु)	कुल मूल्य (₹)
1	रिवोल्विंग कुर्सियाँ	54	300/-	16200/-
2	गवाह/पी०पी० कुर्सियाँ	13	300/-	3900/-
3	लोहे की अलमारी (बड़ी)	10	800/-	8000/-
4	लोहे की बुकशेल्फ	01	500/-	500/-
5	लोहे की दराज	14	400/-	5600/-
6	आगंतुक कुर्सियाँ	124	100/-	12400/-
7	कूलर	2	400/-	800/-
8	लकड़ी की मेज़	28	150/-	4200/-
9	लोहे की मेज़	14	350/-	4900/-
10	हॉट केस	11	50/-	550/-
11	लोहे की अलमारी (छोटी)	02	500/-	1000/-
12	लोहे की बेंच	05	350/-	1750/-
13	स्टील की बेंच	25	350/-	8750/-
14	लकड़ी की कुर्सियाँ	11	50/-	550/-
15	कूलर स्टैंड	01	100/-	100/-
16	दीवार घड़ी	25	20/-	500/-
17	एलसीडी टीवी स्क्रीन	01	1500/-	1500/-
18	ताले	15	20/-	300/-
19	ऊष्मा संवाहक	05	100/-	500/-
20	मयूर जग	04	20/-	80/-
21	चाय की केतली	03	50/-	150/-
22	एसीपी बोर्ड	24	10/-	240/-
23	नाम पट्ट (पीतल)	37	50/-	1850/-
			कुल	74320/-

लागू कर उपरोक्त आरक्षित मूल्य के अतिरिक्त होंगे। नीलामी के दिन यानी 20.10.2023 को दोपहर 01:00 बजे से पहले प्रतिभागी को ₹10,000/- (वापसी योग्य) अपनी फोटो पहचान पत्र की एक प्रति के साथ शाखा प्रभारी, केयर टेकिंग शाखा, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली को जमा करने होंगे। सफल बोली लगाने वाले से बोली स्वीकार होने पर कुल नीलामी मूल्य का 25% नकद वसूल किया जाएगा। निष्क्रिय वस्तुओं को नियम एवं शर्तों के अनुसार न्यायालय परिसर से हटाना होगा।

इच्छुक बोलीदाता किसी भी कार्य दिवस पर दोपहर 02:00 बजे से शाम 04:00 बजे के बीच वस्तुओं का निरीक्षण कर सकता है। अन्य जानकारी केयर टेकिंग शाखा, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली से एकत्र की जा सकती है, निष्क्रम और शर्तें लागू। प्रतिभागी अन्य प्रासंगिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट यानी **www.delhistrictcourts.nic.in** पर भी जा सकते हैं। नीलामी नीचे वर्णित अन्य नियमों और शर्तों के अधीन होगी और इसकी घोषणा मौके पर ही की जाएगी।

(गौरव राव)

अध्यक्ष, निराकरण बोर्ड,

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला नई दिल्ली, पटियाला हाउस न्यायालय,
नई दिल्ली।

नियम एवं शर्तें

1. निष्क्रिय फर्नीचर वस्तुओं की नीलामी 20.10.2023 को दोपहर 02:00 बजे गेट नं० 4, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली के सामने लॉन में "जैसा है जहां है आधार" पर की जाएगी।
2. सभी निष्क्रिय वस्तुओं का आरक्षित मूल्य ₹70,620/- (सत्तर हजार छह सौ बीस रुपये मात्र) लागू कर अतिरिक्त निर्धारित किया गया है।
3. बोली लगाने वाले को ₹10,000/- (वापसी योग्य) अपनी फोटो पहचान पत्र की एक प्रति के साथ शाखा प्रभारी, केयर टेकिंग शाखा, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली को जमा करने होंगे।
4. सफल बोलीदाता को नियम 220(iv) एफ जीएफआर-2017 के अनुसार बोली की स्वीकृति पर बोली मूल्य का 25% नकद में जमा करना होगा।
5. कुल नीलामी मूल्य योग्य बोलीदाता द्वारा **Principal District & Sessions Judge (New Delhi District), Patiala House Court, New Delhi** के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट के रूप में तीन कार्य दिवसों (बैंक अवकाश को छोड़कर) के भीतर जमा किया जाएगा। अप्राप्ति के मामले में, जमा राशि का 25% जब्त कर लिया जाएगा।
6. भुगतान जमा होने के तीन दिन के भीतर निष्क्रिय वस्तुएं न्यायालय परिसर से हटा दी जाएंगी।

- निष्क्रिय वस्तुओं को पटियाला हाऊस न्यायालय परिसर से हटाने के लिए बोलीदाता स्वयं श्रमिक और परिवहन की व्यवस्था करेगा और ऐसे परिवहन का खर्च उसके द्वारा ही वहन किया जाएगा।
8. निराकरण बोर्ड का निर्णय बोली लगाने वाले के लिए बाध्यकारी होगा और वह बिना कोई कारण बताए नीलामी रद्द कर सकता है।
9. निराकरण बोर्ड नीलामी की कार्यवाही के समय किसी भी नियम और शर्तों को जोड़ने या हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है और यह सभी बोलीदाताओं/प्रतिभागियों के लिए बाध्यकारी होगा।

(गौरव राव)

अध्यक्ष, निराकरण बोर्ड,

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला नई दिल्ली, पटियाला हाऊस न्यायालय,
नई दिल्ली।

संख्या 2729-34 देख रेख शाखा/पटियाला हाऊस न्यायालय/नई दिल्ली/2023

दिनांक 14/10/23

प्रति सूचना एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित:-

1. निजी सचिव कार्यालय माननीय विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला नई दिल्ली, पटियाला हाऊस न्यायालय, नई दिल्ली।
- ✓ 2. शाखा प्रभारी, कंप्यूटर शाखा, दिल्ली/नई दिल्ली के सभी जिला न्यायालय परिसरों को इस अनुरोध के साथ कि अपनी संबंधित जिला न्यायालय की वेबसाइट पर नियमों और शर्तों के साथ नीलामी नोटिस अपलोड करें।
3. शाखा प्रभारी, केयर टेकिंग शाखा, केंद्रीय जिला, पश्चिम जिला, दक्षिण जिला, दक्षिण-पूर्व जिला, शाहदरा जिला, उत्तर-पूर्व जिला, पूर्व जिला, दक्षिण-पश्चिम जिला, उत्तर-पश्चिम जिला, उत्तर जिला और राउज एवेन्यु जिला न्यायालय को अपने संबंधित न्यायालय परिसर के नोटिस बोर्ड पर नीलामी नोटिस चिपकाने के अनुरोध के साथ।
4. शाखा प्रभारी, नज़ारत शाखा, पटियाला हाऊस न्यायालय, नई दिल्ली को संबंधित प्रोसेस सर्वर को सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, एनआईए मुख्यालय के पीछे आदि प्रमुख स्थानों पर नीलामी नोटिस की प्रतियां चिपकाने का निर्देश देने के अनुरोध के साथ।
5. शाखा प्रभारी, केयर टेकिंग शाखा, पटियाला हाऊस न्यायालय, नई दिल्ली, नीलामी प्रक्रिया के लिए आवश्यक व्यवस्था करें।

अध्यक्ष, निराकरण बोर्ड,

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला नई दिल्ली, पटियाला हाऊस न्यायालय,
नई दिल्ली।